संजीव®

UPSC, RPSC, RSSB एवं SSC द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तक

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)

प्रथम संस्करण 2023

लेखक

जी.सी. जाखड़

मार्गदर्शक

कृष्ण कुमार जाखड़

आभार

एस. चौधरी

जयपाल छिल्लर

समर्पण

प्रस्तुत पुस्तक मेरे आदरणीय पिता श्री गुलझारी लाल जाखड़ एवं माता श्रीमती चन्द्री देवी के चरणों में सादर समर्पित है।

संजीव प्रकाशन, जयपुर

• **प्रकाशक :**
संजीव प्रकाशन
धामाणी मार्केट,
चौड़ा रास्ता, जयपुर-03
email : sanjeevprakashanjaipur@gmail.com
website : www.sanjivprakashan.com

❑ **संस्करण : 2023-24**

© **जी.सी. जाखड़**

• **Fix Rate : ₹ 250.00**

• *लेजर टाइपसैटिंग :*
संजीव प्रकाशन (D.T.P. Department),
जयपुर

• *मुद्रक :*
विकास बुक बाईंडर, जयपुर

❑ इस पुस्तक में प्रामाणिक स्रोतों से विषय सामग्री का संकलन किया गया है, साथ ही इस पुस्तक में त्रुटियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। किसी भी त्रुटि के पाये जाने पर अथवा किसी भी तरह के सुझाव के लिए आप हमें निम्न पते पर email या पत्र भेजकर सूचित कर सकते हैं—
email:sanjeevcompetition@gmail.com
पता : प्रकाशन विभाग, संजीव प्रकाशन
धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर।
आपके द्वारा भेजे गये सुझावों से अगला संस्करण और बेहतर हो सकेगा।

❑ इस पुस्तक के किसी भी अंश का पुनरुत्पादन या किसी प्रणाली के सहारे पुनर्प्राप्ति का प्रयास अथवा किसी भी तकनीक या तरीके—इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या वेब माध्यम से लेखक एवं प्रकाशक की अनुमति के बिना प्रकाशन या वितरण नहीं किया जा सकता है।

❑ हमने अपने प्रयास से इस पुस्तक के तथ्यों तथा विवरणों को उचित स्रोतों से प्राप्त किया है। इस पुस्तक में प्रकाशित किसी भी सूचना की सत्यता या त्रुटि के प्रति तथा इससे होने वाली किसी भी क्षति के लिए लेखक, प्रकाशक, संपादक तथा मुद्रक किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं हैं। ध्यान रखें कि आप उक्त शर्तें मानते हुए ही यह पुस्तक खरीद रहे हैं।

❑ सभी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र 'जयपुर' होगा।

आमुख
(PREFACE)

प्रस्तुत पुस्तक '**भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)**' में भारतीय संविधान के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया गया है। यह पुस्तक भारतीय राजनीति व शासन व्यवस्था के बदलते हुए स्वरूप का एक अनुभवात्मक अध्ययन है। यद्यपि पुस्तक में संविधान के संस्थागत व सैद्धान्तिक पक्ष का भी वर्णन किया गया है किन्तु बदलते हुए राजनीतिक व सामाजिक परिवेश में न्यायालय द्वारा की गई संविधान की उदार व प्रगतिशील व्याख्या के संदर्भ में भारतीय राजव्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष को आपके सामने प्रस्तुत करने का यथासंभव प्रयत्न किया गया है। पुस्तक की भाषा शैली बहुत ही सरल और बोधगम्य है।

सम्प्रति प्रतियोगी समय में बदलते **प्रारंभिक परीक्षा** के प्रारूप व परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बदलती प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए पुस्तक की विषय-वस्तु को अद्यतन बनाया गया है। यह पुस्तक उन अभ्यर्थियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से लिखी गई है जो U.P.S.C., राज्य लोक सेवा आयोग, RSSB, S.S.C. इत्यादि द्वारा आयोजित तथा अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक उपर्युक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के **प्रारंभिक परीक्षा** (Prelims Exam) सामान्य अध्ययन तथा राजनीति विज्ञान व लोक प्रशासन के प्रश्न-पत्र के भारतीय राजव्यवस्था वाले खण्ड को पूर्ण रूप से कवर करती है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में रुचि रखने वाले छात्रों, अध्यापकों एवं सामान्य नागरिकों के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक की विषय-वस्तु को सरल व बोधगम्य बनाया गया है ताकि सामान्य अध्ययन विषय के विद्यार्थियों को समझने में कोई कठिनाई अनुभव ना हो।

प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को पढ़ाने का मेरा प्रत्यक्ष अनुभव पुस्तक की विषय-वस्तु को प्रतियोगी-परीक्षाओं व प्रतियोगियों की माँग के अनुसार अद्यतन करने में सहायक सिद्ध हुआ।

❋ अनुक्रमणिका ❋

क्रम	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय : संविधान, संविधानवाद एवं संवैधानिक सरकार	9 - 10
2.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	11 - 27
3.	संविधान का निर्माण	28 - 42
4.	संविधान की प्रस्तावना एंव दर्शन	43 - 49
5.	संविधान की विशेषताएँ एवं स्रोत	50 - 56
6.	संघ और उसका राज्य क्षेत्र	57 - 62
7.	नागरिकता	63 - 68
8.	मूल अधिकार एवं मूल कर्त्तव्य	69 - 101
9.	राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व	102 - 113
10.	संघीय कार्यपालिका	114 - 148
11.	संघ की विधायिका (संसद)	149 - 183
12.	संघ की न्यायपालिका	184 - 197
13.	राज्य की कार्यपालिका	198 - 217
14.	राज्य विधानमण्डल	218 - 240
15.	राज्य की न्यायपालिका	241 - 251
16.	स्थानीय स्वशासन : I. ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज व्यवस्था) II. शहरी स्थानीय स्वशासन	252 - 286
17.	संघ-राज्य क्षेत्रों का प्रशासन	287 - 290
18.	अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन	291 - 293
19.	केन्द्र-राज्य सम्बन्ध	294 - 304
20.	संविधान संशोधन की प्रक्रिया	305 - 328
21.	आपातकालीन प्रावधान	329 - 337
22.	सरकार या शासन का स्वरूप	338 - 346
23.	राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था तथा चुनावी कानून	347 - 357
24.	संवैधानिक एवं गैर-संवैधानिक निकाय	358 - 399
25.	धर्म निरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय	400 - 402
	भारतीय संविधान एवं राजव्यस्था से संबंधित अति महत्त्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न	403 - 456

संविधान के भाग

(PART OF CONSTITUTION)

भाग I : संघ और उसका राज्यक्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)

भाग II : नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)

भाग III : मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35)

भाग IV : राज्य के नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 36-51)

भाग IVक : मूल कर्त्तव्य (अनुच्छेद 51क)

भाग V : संघ (अनुच्छेद 52-151)

- अध्याय I. : कार्यपालिका (अनुच्छेद 52-78)
- अध्याय II. : संसद (अनुच्छेद 79-122)
- अध्याय III. : राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद 123)
- अध्याय IV. : संघ की न्यायपालिका (अनुच्छेद 124-147)
- अध्याय V. : भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148-151)

भाग VI. : राज्य (अनुच्छेद 152-237)

- अध्याय I. : सामान्य (अनुच्छेद 152)
- अध्याय II. : कार्यपालिका (अनुच्छेद 153-167)
- अध्याय III. : राज्य विधानमण्डल (अनुच्छेद 168-212)
- अध्याय IV. : राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद 213)
- अध्याय V. : राज्यों के उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 214-232)
- अध्याय VI. : अधीनस्थ न्यायालय (अनुच्छेद 233-237)

भाग VII. : प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य (अनुच्छेद 238)(निरसित)

भाग VIII. : संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 239-242)

भाग IX. : पंचायतें (अनुच्छेद 243-243ण)

भाग IX A : नगरपालिकाएं (अनुच्छेद 243त -243य छ)

भाग IX B : सहकारी समितियाँ (अनुच्छेद 243य ज - 243य न)

भाग X : अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र (अनुच्छेद 244-244क)

भाग XI : संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद 245-263)

- अध्याय I : विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255)
- अध्याय II. : प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256-263)

भाग XII : वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद (अनुच्छेद 264-300क)

- अध्याय I. : वित्त
- अध्याय II. : उधार
- अध्याय III. : संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद
- अध्याय IV. : संपत्ति का अधिकार

भाग V. : भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद 301-307)

भाग XIV : संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (अनुच्छेद 308-323)

अध्याय I. : सेवाएं (अनुच्छेद 308-314)

अध्याय II. : लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315-323)

भाग XIV क : अधिकरण (अनुच्छेद 323क -323 ख)

भाग XV : निर्वाचन (अनुच्छेद 324-329क)

भाग XVI : कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (अनुच्छेद 330-342क)

भाग XVII : राजभाषा (अनुच्छेद 343-351)

अध्याय I. : संघ की भाषा

अध्याय II. : क्षेत्रीय भाषाएं

अध्याय III. : उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा

अध्याय IV. : विशेष निर्देश

भाग XVIII. : आपात उपबंध (अनुच्छेद 352-360)

भाग XIX. : प्रकीर्ण (अनुच्छेद 361-367)

भाग XX. : संविधान का संशोधन (अनुच्छेद 368)

भाग XXI. : अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (अनुच्छेद 369-392)

भाग XXII. : संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (अनुच्छेद 393-395)

अनुसूचियाँ

(SCHEDULES)

1. पहली अनुसूची – (अनुच्छेद 1 तथा 4)- राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन।
2. दूसरी अनुसूची – (अनुच्छेद 59(3), 65 (3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 तथा 221) मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते :

- ◆ भाग-क : राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन-भत्ते,
- ◆ भाग-ख : लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के वेतन-भत्ते,
- ◆ भाग-ग : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते,
- ◆ भाग-घ : भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वेतन-भत्ते।

3. तीसरी अनुसूची : (अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219 शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप, व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं।
4. चौथी अनुसूची : [अनुच्छेद 4 (1), 80 (2)] - राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से।
5. पाँचवी अनुसूची : [अनुच्छेद 244 (1)] - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध।

- ◆ भाग क : साधारण
- ◆ भाग ख : अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और निंयत्रण
- ◆ भाग ग : अनुसूचित क्षेत्र
- ◆ भाग घ : अनुसूचि का संशोधन

6. छठी अनुसूची : [अनुच्छेद 244(2), 275 (1)] - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध।
7. सातवीं अनुसूची : (अनुच्छेद 246) - विषयों के वितरण से संबंधित

- ◆ सूची- 1 संघ सूची,
- ◆ सूची - 2 राज्यसूची
- ◆ सूची - 3 समवर्ती सूची।

8. आठवी अनुसूची : (अनुच्छेद 344(1), 351)- भाषाएँ - 22 भाषाओं का उल्लेख।
9. नवीं अनुसूची : (अनुच्छेद 31ख) - कुछ भुमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण (284)
10. दसवीं अनुसूची : [अनुच्छेद 102(2), 191(2)] - दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध
11. ग्यारवी अनुसूची : पंचायती राज से सम्बन्धित पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व 173वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित।
12. बारहवी अनुसूची : यह अनुसूची संविधान में 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। नगरपालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि।

आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं

संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाएँ :

1. असमिया	2. बांग्ला
3. गुजराती	4. हिन्दी
5. कन्नड़	6. कश्मीरी
7. मराठी	8. मलयालम
9. उडिया	10. पंजाबी
11. संस्कृत	12. तमिल
13. तेलुगु	14. उर्दू
15. सिंधी	16. कोंकणी
17. मणिपुरी	18. नेपाली
19. बोडो	20. डोगरी
21. मैथिली	22. संथाली

आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख हैँ

- संविधान के आरम्भ में इस अनुसूची में 14 भाषाएँ (असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू) थी।
- सिंधी को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया
- कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन अधिनयिम 1992 द्वारा आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया
- बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया।